प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-39803/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.10.2025), दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी (दिनांक 27.11.2024 तक बंदी की आयु 50 वर्ष 03 माह) शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-271/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 27.11.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, वादी की सुरक्षा व न्यायहित में बन्दी का निरूद्ध रहना आवश्यक प्रतीत होने, दोनो पक्षों में कसीदगी व्याप्त होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की आयु 50 वर्ष, 03 माह होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र तेज शंकर बाजपेयी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू (बंदी संख्या-48397) पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-542/2026/2193 (1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 एवं दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-7557/2025 चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2025 को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में कृत कार्यवाही अनुपालन आख्या/रिपोर्ट से समयान्तर्गत मा0 न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-542/2026/2193/22-2-2025-17(984)/2023

दिनांक 20 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र श्री तेज शंकर बाजपेयी (दिनांक 27.11.2024 तक बंदी की आयु 50 वर्ष 03 माह) शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र सपरीक्षण संख्या-271/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 27.11.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नही होने, वादी की सुरक्षा व न्यायहित में बन्दी का निरूद्ध रहना आवश्यक प्रतीत होने, दोनो पक्षों में कसीदगी व्याप्त होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 की रात्रि को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर नाजायज असलहा, कांता व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की आयु 50 वर्ष, 03 माह होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी चन्द्रभूषण उर्फ गुड्डू पुत्र तेज शंकर बाजपेयी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in